भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1892

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों को फिर से खोला जाना

1892. श्री अमर सिंहः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उसके द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा सिख विरोधी दंगों से संबंधित 241 मामलों में से 237 मामलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि न्यायमूर्ति नानावटी आयोग ने पुलिस द्वारा बंद किए गए 241 मामलों में से मात्र चार मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो 237 मामलों को खोले जाने के विशेष कारण क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): सरकार ने, दिनांक 12 फरवरी, 2015 के आदेश के तहत उन गंभीर आपराधिक मामलों, जो 1984 के दंगों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दर्ज किए गए थे और जिन्हें पूर्व में बंद कर दिया गया है, की उपयुक्त ढंग से जांच/पुनःजांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। दिल्ली में सिक्ख विरोधी दंगा, 1984 के संबंध में, पंजीकृत 650 मामलों में से, एसआईटी द्वारा दिनांक 29.7.2016 तक 49 मामलों की पुनः जांच के लिए पहचान कर ली गई है।

(ग): तथापि, न्यायमूर्ति नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को दस मामलों में जांच कराने की सिफारिश की थी।

(घ): 1984 के दंगों से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति माथुर समिति ने गंभीर मामलों, जो पूर्व में बंद कर दिए गए हैं, की उपयुक्त ढंग से जांच/पुनःजांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की सिफारिश की थी।